(1)

516
1.9.14

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

A - 3365 - III/14

तारा प्रसाद तनय रघुनाथ प्रसाद उम्र– 85 वर्ष निवासी ग्राम नर्रहा तहसील गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....अपीलार्थी / आवे0

बनाम

सुनैना देवी पत्नी तामेश्वर प्रसाद उपाध्याय पुत्री श्री भीमसेन शुक्ला निवासी ग्राम नर्रहा तह0 गुढ़ जिला रीवा (म0प्र0) ....रेस्पा0 / अना0

अपील विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा के प्र.क. 721/अपील/13–14 में 35(4) के आवेदन में पारित आदेश दिनांक 26.07.14

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 35(4) म0प्र0भू राजस्व संहिता।

श्री..हे.म.कुमार अग्निहोत्री.एड के द्वारा आज दिनांक..01.9.14 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
क्रमांक 3068 रजिस्टर्ड पोस्ट सूचित कोषाधिका
दिनांक ________ को प्राप्त
मान्यवर
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील का संक्षिप्त विवरण निम्न हैः–

1– यह कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार गुढ़ के नक्शा तर्मीम के मूल आदेश के विरुद्ध निगरानी पेश की थीं जो अपर कलेक्टर महोदय रीवा के यहां प्रचलित थी जिसका प्र.क. 50/अ–12/11–12 है, जो अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार गुढ़ के अभिलेख व अनावेदक पक्षकार के तलबी के लिए दिनांक 13.03.14 को नियत थी।

2– यह कि आवेदक/अपीलार्थी 85 वर्षीय बृद्ध व्यक्ति है जो अक्सर बीमार रहता है। वह श्रीमान् कलेक्टर महोदय के यहां दिनांक 13.03.14 को उपस्थित नहीं हो सका व अधिवक्ता महोदय भी अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 13.03.14 को अपर कलेक्टर द्वारा खारिज कर दिया गया।

3– यह कि उस समय लोकसभा चुनाव–2014 के तैयारी में प्रशासन व्यस्त था, इसलिए लिपिक सिर्फ पेशी ही देते थे।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 3365–तीन/2014 जिला रीवा

ताराप्रसाद विरूद्ध सुनैना देवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–6–2015	अपीलार्थी द्वारा यह अपील म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) के अन्तर्गत अपर आयुक्त रीवा के प्र0क्रं0 721/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–7–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2/ अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा तर्क में बताया कि अपीलार्थी 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी का धारा 35(3) आवेदन दिनांक 20–6–14 को निरस्त होने के कारण उसके द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष धारा 35(4) के अन्तर्गत अपील आवेदन पेश किया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26–7–14 के द्वारा उक्त अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से ग्राह्यता के बिन्दुपर खारिज करने में त्रुटि की है। 3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के संहिता की धारा 35(4) के अन्तर्गत पेश कर अपर कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी। अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनाक 26–7–14 में बिना किसी आधार पर निष्कर्ष निकाला है एवं न ही उसका उचित कारण दर्शाया है कि धारा 35(4) के अन्तर्गत अपील प्रचलय योग्य नहीं है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35(4) में के प्रावधानित है कि– "जहां उपधारा (3) के अधीन फाईल किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को अपील फाईल कर सकेगा	

जिसको कि ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश के विरूद्ध अपील होती है।'' कलेक्टर द्वारा किए गए आदेश की अपील सुनने की अधिकारिता आयुक्त को है अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 26–7–14 निरस्त किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य